भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1692
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी

†1692. श्री रेबती त्रीपुराः
श्री विजय कुमार दूबेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में नियम-56 के अंतर्गत कुछ भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/संभावित रूप से उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 के उप-नियम 3 के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान, सार्वजनिक हित में नौ आईपीएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश संवर्ग का कोई अधिकारी शामिल नहीं है।

*****